

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

- अधिसूचना सं०-17/ए3-8/2015 पटना, दिनांक- २/१/१५
5९१(17) /स्वा०, सीनियर
रेजिडेंट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली 2008 एवं (संशोधन) नियमावली 2013 के आलोक में सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के टेन्योर पदों पर स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बाह्य चिकित्सकों को निम्नांकित शर्तों के अधीन राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल में नियुक्ति की जाती है। यह नियुक्ति मात्र तीन वर्षों के लिए होगी।
- संबंधित स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को जो वेतन एवं भत्ता पूर्व से प्राप्त हो रहा है, वही वेतन एवं अनुमान्य भत्ता टेन्योर पदों पर पदस्थापन अवधि में देय होगा। वेतन से की जा रही सामान्य कटौतियाँ नियमानुसार की जाएगी।
 - वाह्य चिकित्सकों को वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे०-5400/- अन्य अनुमान्य भत्ते सहित देय होगा।
 - टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरांत वैसे पद धारक जो स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक हैं, वे अपने पैतृक संवर्ग में वापस हो जायेंगे। वैसे वाह्य चिकित्सक जो राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सदस्य नहीं हैं, उनकी टेन्योर समाप्ति के पश्चात् वे उस टेन्योर पद अथवा किसी अन्य पद पर लगातार बने रहने का दावा नहीं कर सकेंगे।
 - नियंत्रि पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि संबंधित चिकित्सकों को तुरत विरमित कर देंगे। सभी चिकित्सकों को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नवपदस्थापित स्थान पर यथाशीघ्र (अधिकतम सात दिन) अनिवार्य रूप से योगदान कर कार्यभार ग्रहण कर लें।
 - योगदान के समय संबंधित महाविद्यालय अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक, ट्यूटर/सीनियर रेजिडेन्ट के लिए अहर्ता संबंधी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं आरक्षण कोटि के प्रमाण पत्रों की जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा। विसंगति पाये जाने पर पूर्ण विवरण सहित विभाग को सूचित करेंगे।
 - संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक नियुक्त ट्यूटर/सीनियर रेजिडेन्ट से योगदान के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त कर लेंगे कि वे आवेदन के समय MCI से मान्यता प्राप्त किसी अन्य चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में ट्यूटर/सीनियर रेजिडेन्ट का पद धारित नहीं किये थे अथवा ट्यूटर/सीनियर रेजिडेन्ट के पद पर कार्यरत नहीं थे।

प्लास्टिक सर्जरी विभाग (सीनियर रेजिडेन्ट)				
क्रम सं०	चिकित्सक का नाम	कैटेगरी	आरक्षण कोटि	पदस्थापन स्थान
1	डा०ओंकार देव	पी०जी०एस०	पि० वर्ग (सामान्य)	पटना चिकि० महा० अ०, पटना।
2.	डा० संतोष कुमार	पी०जी०एस०	पि०वर्ग (सामान्य)	नालंदा चिकि० महा० अ०, पटना।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

3	डा० श्याम कुमार सत्यपाल	पी०जी०एस०	अनु०जा० (सामान्य)	पटना चिकि० महा० अ०, पटना।
4	डा० संजय कुमार	पी०जी०एस०	पि०वर्ग (सामान्य)	नालंदा चिकि० महा० अ०, पटना।
5.	डा० संजय कुमार	पी०जी०ओ०	अति०पि०वर्ग (सामान्य)	पटना चिकि० महा० अ०, पटना।

गैस्ट्रोलॉजी विभाग (सीनियर रेजिडेन्ट)				
क्रम सं०	चिकि० का नाम	कैटेगरी	आरक्षण कोटि	पदस्थापन स्थान
1.	डा० राजीव रंजन सिन्हा	पी०जी०एस०	पि०वर्ग (सामान्य)	नालंदा चिकि० महा० अ०, पटना।

न्यूरोलॉजी विभाग (सीनियर रेजिडेन्ट)				
क्रम सं०	चिकि० का नाम	कैटेगरी	आरक्षण कोटि	पदस्थापन स्थान
1.	डा० अखिलेश कुमार सिंह	पी०जी०एस०	सामान्य	नालंदा चिकि० महा० अ०, पटना।
2.	डा० अजीत कुमार	पी०जी०ओ०	पि०वर्ग (सामान्य)	पटना चिकि० महा० अ०, पटना।

कार्डियोथोरासिक सर्जरी विभाग (सीनियर रेजिडेन्ट)				
क्रम सं०	चिकि० का नाम	कैटेगरी	आरक्षण कोटि	पदस्थापन स्थान
1.	डा० मनोज कुमार गुप्ता	पी०जी०एस०	पि०वर्ग (सामान्य)	पटना चिकि० महा० अ०, पटना।

यूरोलॉजी विभाग (सीनियर रेजिडेन्ट)				
क्रम सं०	चिकि० का नाम	कैटेगरी	आरक्षण कोटि	पदस्थापन स्थान
1.	डा० कौशल कुमार	पी०जी०एस०	पि०वर्ग	पटना चिकि० महा० अ०, पटना।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सुरेश कुमार शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :-17/ए 3-8/2015 - 529 (17) पटना, दिनांक :- 2/9/15

प्रतिलिपि :-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना /संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-प्राचार्य/अधीक्षक, सभी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य (श्री शर्मा)/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य विभाग/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित सिविल सर्जन/विशेष कार्य पदाधिकारी, (प्रभारी प्रशाखा-17) स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-1,2,3,9 एवं 17, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।
2/9/15